ई–मेल/डाक
मतदाता सहायता–1
विधानसभा आम चुनाव–2018
मतदाता सहायता पुस्तिका

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.3(3)(1)रोल/निर्वा/2 SSR-2018/2018/7607 **जयपुर, दिनांक** 15-10-2018

प्रेषक : **मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2018 – मतदाताओं के लिए जानकारी एवं सहायता पुस्तिका उपलब्ध कराने बाबत्।
प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 491/ECI/LET/FUNC/SVEEP-II/EGS/2018/ दिनांक 08 अक्टूबर, 2018

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 08 अक्टूबर, 2018 का अवलोकन करें। (प्रति संलग्न) आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से प्रत्येक घर (Household) के **"मतदाताओं की जानकारी के लिए एवं सहायता पुस्तिका"** उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

2. यह पुस्तिका मतदान तिथि से पूर्व वोटर पर्ची के साथ मतदाताओं को उपलब्ध कराई जानी है। इस पुस्तिका में मतदान की तिथि, मतदान का समय, बीएलओ के टेलीफोन नं0, मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी, हैल्पलाईन नम्बर की सूची आदिं जानकारीयों का अंकन होगा।

3. इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनसे संबंधित जानकारी इस पुस्तिका (सॉफ्ट कॉपी में) में यथा स्थान अंकित कर इसकी सॉफ्ट कॉपी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर उनके स्तर पर यथा स्थान आवश्यक जानकारी अंकित कर परिवार की संख्या के अनुसार इसका मुद्रण करवाने हेतु निर्देश जारी करेंगें।

3.1 इस पुस्तिका में बीएलओ से सम्बन्धित जानकारी स्टीकर/हाथ से लिखकर इसकी पूर्ति की जाएगी।

3.2 जिला निर्वाचन अधिकारी/रिर्टनिंग अधिकारी यथाशीघ्र "मतदाताओं की जानकारी के लिए एवं सहायता पुस्तिका" सभी को बीएलओ के माध्यम से वोटर पर्ची वितरण के साथ–साथ कार्यक्रम निर्धारित कर इसका मतदाता फोटो पर्ची के साथ वितरण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. आपसे अनुरोध है कि **"मतदाताओं के लिए जानकारी एवं सहायता पुस्तिका"** का मुद्रण जिला स्तर पर परिवार की संख्या के आधार पर कराया जाकर बीएलओ के माध्यम से वोटर पर्ची वितरण करते समय इसका वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस विषय में की गई कार्यवाही से यथाशीघ्र विभाग को अवगत कराया जाए।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.3(3)(1)रोल / निर्वा / 2 SSR-2018/2018 | 7607 **जयपुर, दिनांक** 15-10-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आर / जे), राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

By E-mail/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

SUJEET KUMAR MISHRA
UNDER SECRETARY

E-mail – skmishra@eci.gov.in
Tel. No. 011-23052064

No.491/ECI/LET/FUNC/SVEEP-II/EGS/2018

Dated: 8th October, 2018

To

The Chief Electoral Officers of
Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Mizoram
and Telangana.

Sub: Distribution of Updated Voter Guide for Election Going States (EGS) - Regarding

Sir/Madam,

Comprehensive SVEEP measures for voters' awareness are being taken up to enhance people's participation in the upcoming elections. In continuation of these measure, the Commission has directed that a Voter Guide/brochure [in local language) shall be handed over to every household ahead of election giving information about the date and time of polls, contact details of BLOs, important websites, helpline numbers, documents required for identification at the polling station besides other important information including the do's and dont's for voters at the Polling Station.

Accordingly, following instructions are issued for compliance:

1. The CEOs are requested to fill the relevant details and share the soft copy of the Voter Guide with the DEOs for inserting concerned details of the district.
2. The Voter Guide shall be translated in local regional language and filled with relevant details by the concerned CEO/DEO/BLO.
3. The name of the BLO in Voter Guide may be written by hand or a sticker may be suitably used.
4. The DEOs have to ensure immediate distribution of Voter Guide to every family in their district.

contd.. 2/-

5. It may be noted that one copy of the Voters' Guide which is to be distributed to every household, shall be distributed to each household along with the Voter Slips by the BLO so as to avoid any repeat visits.
6. A soft copy in Pdf and working files of the Voter Guide in English and Hindi is being emailed for necessary action.

Yours faithfully,

(SUJEET KUMAR MISHRA)
UNDER SECRETARY

मतदाताओं के लिए
जानकारी एवं सहायता पुस्तिका

राजस्थान... विधान सभा चुनाव 2018

चुनाव तिथि 07 / 12 / 2018

समय ___ / ___ / ______

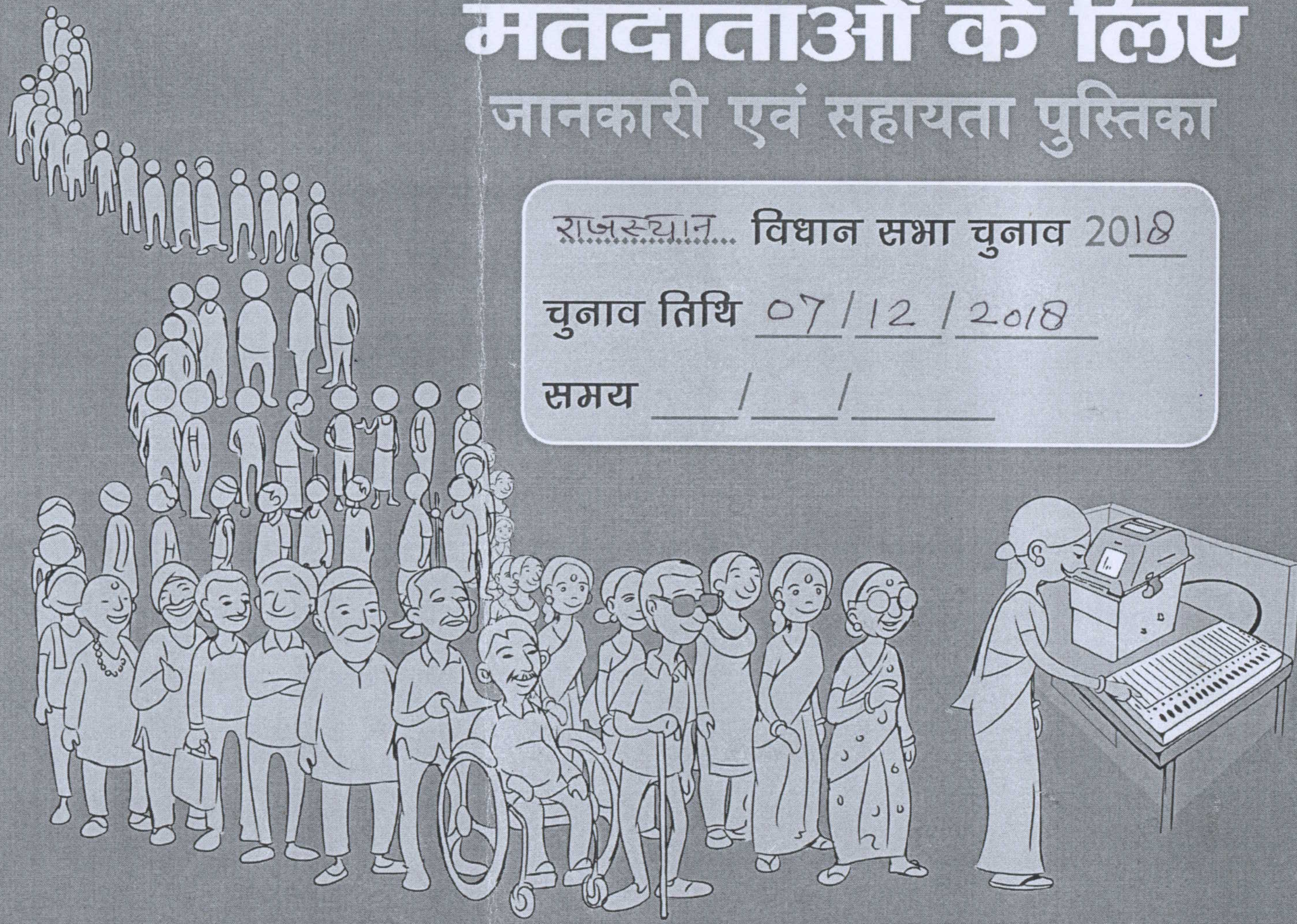

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India

मतदाताओं के लिए

जानकारी एवं सहायता पुस्तिका

.... विधान सभा चुनाव 20___

चुनाव तिथि ____/____/______

समय ____/____/______

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)

भारत निर्वाचन आयोग

आप सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं, यदि आप :

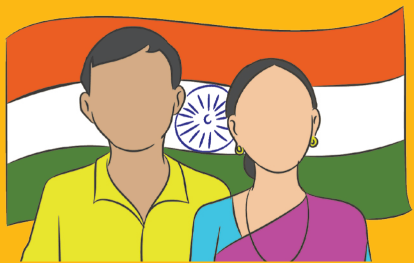

- भारत के नागरिक हैं।

- 1 जनवरी 20___ को 18 वर्ष के हो चुके हैं।

- जहां आप पंजीकृत होना चाहते हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं।

- मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

मतदाता सूची में कौन पंजीकृत नहीं हो सकता :

- जो भारत का नागरिक नहीं है।

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानसिक रूप से रुग्ण या अक्षम घोषित।

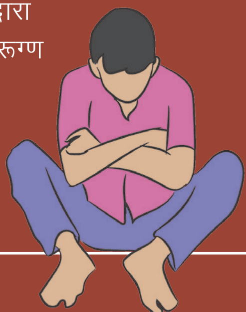

- जो विधि के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण और अन्य चुनाव अपराधों के लिए मतदान करने के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो।

www.nvsp.in पर ऑनलाईन फार्म 6 भरें या फार्म बीएलओ से प्राप्त करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।

EPIC – मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा वोटर कार्ड

फॉर्म 6 जमा करने के बाद, BLO आपके दस्तावेज़ों की पुष्टि के लिए आपके पते पर आएंगे।

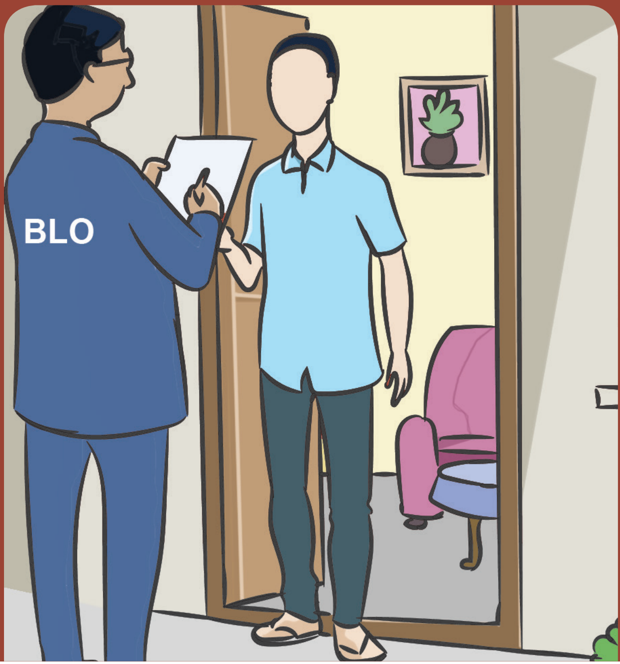

अगर आप का आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो BLO मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) आपको दे जायेंगे या आपको कार्यालय में बुलायेंगे।

अपना बहुमूल्य मत कैसे डालें?

याद रखें- अगर आपका नाम मतदाता सूची मे नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते।

मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करें; मतदाता सूची CEO की वेवसाईट एवं www.nvsp.in पर उपलब्ध है।

मतदाता सूची ERO के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

मतदान केन्द्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या किसी अन्य उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है।

चुनाव के दिन छुट्टी दी जाती है ताकि प्रत्येक मतदाता अपना वोट डाल सके।

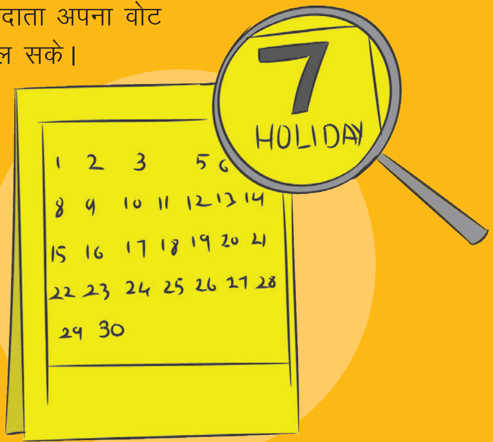

कतार में खड़े हों, अपना पहचान दस्तावेज़ और मतदाता पर्ची तैयार रखें।

प्रथम चुनाव अधिकारी- आपका नाम मतदाता सूची में देखेगा और आपका पहचान पत्र देखेगा।

दूसरा चुनाव अधिकारी- आपकी अंगुली पर स्याही लगाएगा, आपको एक पर्ची देगा और रजिस्टर में आपके हस्ताक्षर लेगा।

तीसरा चुनाव अधिकारी- आपसे पर्ची लेगा और आपकी स्याही लगी हुई अंगुली देखेगा।

वोट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिह्न के सामने बटन दबाएं आपको एक बीप आवाज सुनाई देगी। वीवीपैट में मुद्रित पर्ची भी देखें।

ईवीएम में अंतिम बटन नोटा (इनमें से कोई नहीं) भी उपलब्ध है।

ई.वी.एम तथा वीवीपैट द्वारा कैसे मतदान करें

1 मतदान बूथ में प्रवेश करें।

जब आप मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे तो पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट को चालू करेगा।

2 अपना मत डालें

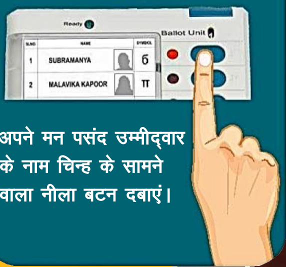

अपने मन पसंद उम्मीद्वार के नाम चिन्ह के सामने वाला नीला बटन दबाएं।

3 बत्ती देखें

चयनित उम्मीद्वार के नाम चिन्ह के सामने वाली लाल बत्ती जगमगाएगी।

4* मुद्रित पर्ची देखें

जैसा कि दिखाया गया है कि प्रिंटर एक मतपर्ची छापेगा जिसमें चयनित उम्मीद्वार की क्रम सं., नाम तथा चिन्ह छपा होगा।

नोट!

यदि आप द्वारा न ही मतपर्ची देखी जाती है तथा बीप की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है तो कृपया पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क करें।

मतदाता हेतु महत्वपूर्ण सूचना

1. वोट करने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। मतदाता सूची में नाम ढूंढने हेतु विकल्प :

वेवसाईट देखें	एस. एम. एस. भेजें	हेल्प लाईन	बूथ लेवल अधिकारी
www.......................nic.in www.nvsp.in	EPIC <space> Voter ID कार्ड नं. xxxxxxxxxx	1800-11-1950	से सम्पर्क करें

2. अपना पोलिंग स्टेशन ढूढ़ें :

http://www.nvsp.in/

पर जायें और Know your booth, AC and PC पर क्लिक करें

कृपया डी. ई. ओ. वेबसाइट भरें

3. अपने बी.एल.ओ. को जानें :

बी.एल.ओ. का नाम : --

बी.एल.ओ. का मोबाईल नंबर : ---------------------------

4. वोटर आई कार्ड (EPIC) ना होने की स्थिति में वैकल्पिक दस्तावेज :

1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेन्स
3. केन्द्र/राज्य सरकार/राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो सहित सेवा पहचान–पत्र
4. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक
5. पैन कार्ड
6. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड
9. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
10. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणीकृत फोटो मतदाता पर्ची
11. एम पी/एम एल ए/एम एल सी को जारी शासकीय पहचान–पत्रय
12. आधार कार्ड

मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाएं

- ☞ ढ़लान (रैंप), व्हील चेयर एवं स्वयंसेवकों की उपलब्धता
- ☞ नेत्रहीन मतदाताओं को सहायक ले जाने की अनुमति
- ☞ दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में वरीयता
- ☞ ई.वी.एम. पर ब्रेल की सुविधा
- ☞ सभी मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची का आवंटन
- ☞ प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ
- ☞ प्रत्येक मतदान केंद्र पर पेय जल, प्राथमिक चिकित्सा एवं शौचालय की सुविधा
- ☞ मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए संकेत
- ☞ महिला एवं पुरुष मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतार की सुविधा
- ☞ प्रत्येक पुरुष मतदाता के बाद, दो महिला मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति
- ☞ निर्धारित स्थानों पर महिला मतदान केंद्र
- ☞ दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान हेतु मतदान केन्द्र के लिए नि:शुल्क परिवहन सुविधा
- ☞ दिव्यांगजनों के लिए चुने हुए विद्यालयों में सहायक मतदान केन्द्र बनाना
- ☞ सुगम मतदान पर्ची
- ☞ नेत्रहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में मतदान पहचान पत्र

किसी भी जानकारी / सहायता हेतु हेल्प लाइन नम्बर **1800-11-1950** पर कॉल करें अथवा **http://eci-citizenservices.nic.in** पर लॉगऑन करें।